

प्रेमक,

संख्या:

XXIV-2/2005

एस।ओ. के.ओ. माहेश्वरी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र - 2,
समुदाय केन्द्र, पी.वि. विहार,
नई दिल्ली।

शिक्षा अनुभाग-3

देहरादून

दिनांक 21 जून, 2005

विषय:

श्री गुरु रामराय पब्लिक स्कूल भागियावाला, देहरादून को सी.ओ.बी.ओ. एस।ओ.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री गुरु रामराय पब्लिक स्कूल भागियावाला, देहरादून को सी.ओ.बी.ओ. एस।ओ.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निर्धारित परिस्थितियों को अधीन आनपत्ति नहीं है:-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सी.ओ.बी.ओ. की समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रत्येक सभिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तरांचल शासन द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा वैश्विक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से प्राप्त होने की तिथि से उत्तरांचल शासन द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

- 5-- संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुगम्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिए जायेंगे।
- 6-- कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय सच्युतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुसूच्य सेवाशर्तों के लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 7-- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 8-- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र /पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 9-- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/ संशोधन परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
- 10-- पुरतकालय कक्षा को एक वर्ष के अन्दर निर्धारित माप का बना लिया जाय।
- 2-- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या कमियाँ होती हैं तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त जनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(एस10 कै0 माहेश्वरी)

अपर सचिव

संख्या: (1) XXIV-2/2005 तदुद्दिष्ट।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित:-

- 1-- निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, सत्तरौं बल, देहरादून।
- 2-- अपर शिक्षा निदेशक, महात्मा गण्डल - पौड़ी।
- 3-- जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून।
- 4-- प्रमुख, श्री गुरु रामराम पब्लिक स्कूल भागियावाला, देहरादून।
- 5-- जिला कार्यालय।

आज्ञा श्री,

(राजेन्द्र सिंह)

उप सचिव